BSES

"दिल्ली 6" में 425 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी, 85 लाख का जुर्माना

बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक अभियान में 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

- छोटे व मंझोले स्तर के दुकानों में हो रही है ज्यादा बिजली चोरी
- एक अन्य मामले में, स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के एक आरोपी को जेल भेजा
- पिछले एक साल में बीएसईएस ने 6103 किलोवॉट बिजली की चोरी और 1600 आरोपी पकड़े

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2009। इतिहास के पन्नों को खुद में समेटे पुरानी दिल्ली के गली–कूचों की यूं तो कई खासियतें हैं और वे दुनियाभर में विख्यात भी हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यहां के कई लोग, खास कर छोटे व मंझोले दुकानदार बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने चांदनी चौक, दरियागंज, पटेल नगर व पहाड़गंज इलाके में व्यापक पैमाने पर छापेमारी की, जिसमें 425 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी और 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिजली चोरी के इन आरोपियों पर कुल 85 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है।

असामाजिक तत्वों के विरोध के मद्देनजर बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने इस छापेमारी अभियान में दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों का सहयोग लिया। जिन मोहल्लों में छापेमारी की गई, वे हैं– सुईवालां, तुर्कमान गेट, कसाबपुरा, बाड़ा हिंदू राव, कटरा बागरियां और पंजाबी बस्ती।

	सुईवालां (दरियागंज)	तुर्कमान गेट (दरियागंज)	कसाबपुरा (पहाड़गंज)	बाड़ा हिंदू राव (पहाड़गंज)	कटरा बागरियां (चांदनी चौक)	पंजाबी बस्ती (पटेल नगर)
जितने उपभोक्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए	10	9	9	6	6	9
पकड़ी गई बिजली चोरी (किलोवॉट)	88	119	70	47	33.25	69

बीएसईएस के एक अधिकारी ने कहा कि दरियागंज और पहाड़गंज इलाके में बिजली चोरी ज्यादा है। इस छापेमारी अभियान में जिन 49 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए गए, उन में से 24 दरियागंज और पहाड़गंज डिविजनों से ताल्लुक रखते हैं। न सिर्फ घरेलू बल्कि व्यावसायिक उपभोक्ता भी बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। सच तो यह है कि इन में से कई छोटे व मंझोले स्तर के दुकानदार हैं। कुछ उपभोक्ता सीधे बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे, जबकि कुछ ने अपने बिजली मीटरों के साथ छेड़छाड़ किया हुआ था।

बीएसईएस अधिकारी के मुताबिक, बिजली चोरी को लेकर कंपनी का रवैया काफी सख्त है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई छापेमारी अभियान चलाए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि वे जितनी बिजली की खपत करते हैं, उतनी बिजली की कीमत उन्हें चुकानी ही होगी। देर –सवेर बिजली चोरी करने वाले पकड़े जाएंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बहरहाल, पिछले एक साल के दौरान बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने 1600 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए। वे 6103 किलोवॉट बिजली की चोरी कर रहे थे। और, अगर जुलाई 2002 से अब तक की बात करें, तो बीएसईएस ने 1 लाख 14 हजार लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज किए हैं और 7 लाख 23 हजार किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी है।

दुकानदार 11 किलोवॉट बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जेल हुई

एक अन्य मामले में, कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने भोजाला सैयद, तुर्कमान गेट निवासी कयामुद्दीन, को बिजली चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। कुछ दिन जेल में गुजारने के बाद ही उसे जमानत मिल पाई।

दरअसल, अक्टूबर, 2008 में बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने कयामुद्दीन और मिराजुद्दीन (मिराज) को 11 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा था। उनके द्वारा चोरी की बिजली का इस्मेताल व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा रहा था। भारतीय बिजली कानून के अनुसार, उन पर 6. 6 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन तय समयसीमा के अंदर उन्होने जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद, 5 फरवरी, 2009 को बीएसईएस ने उनके खिलाफ चांदनी महल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304